न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	20.07.2012	21.12.2022
21 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	29.05.2012	

1—सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

घी विक्रेता श्री लाला राम शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा निवासी ग्राम सुकलपुरा खेडा पोस्ट हथोना तहसील टोंक जिला टोंक .....अप्रार्थी

2—मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....आवेदक

बनाम

घी विक्रेता श्री लाला राम शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा निवासी ग्राम सुकलपुरा खेडा पोस्ट हथोना तहसील टोंक जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी स्वयं।

:—निर्णय—: **दिनांक 21.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक **04.03.2012 को समय** 12:00 ए.एम. पर एन. एच. 12 बरोनी तहसील निवाई जिला टोंक पहुंचा। **वहां पर घी विक्रेता** श्री लाला राम शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा अपनी मोटर साईकिल **आर. जे. 26 एस. ई.** 7687 होण्डा स्पेलण्डर पर खाद्य पदार्थ **घी** विक्रय करने हेतु एक बोरी में **प्लास्टिक की 46 थैलियां** रख कर लेकर आ रहा था, को रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं **परिचय पत्र दिखाया** तथा पूछने पर अपना नाम लाला राम शर्मा बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **घी** का निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने **का अन्देशा हुआ तो श्री** लाला राम शर्मा को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, **विक्रेता को सूचित कर** प्रतियों में विक्रेता श्री लाला राम शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व **आवेदक ने हस्ताक्षर मय** मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता **को बताकर कि यह घी** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी** को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की शीशियों में बराबर–बराबर 200–200 ग्राम डालकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द किया तथा चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–267 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–267 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/1398 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/323/एफएसएसए/2012/319 दिनांक 22.03.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

उक्त नमूना लेने से एक घंटे पहले 11:00 ए.एम. पर इसी दिन 04.03.2012 को दूसरे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर ने भी उक्त घी का नमूना पुलिस थाना बरोनी परिसर से लेकर नियमानुसार समस्त प्रकिया पूर्ण कर आई–294 में दर्ज कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर भिजवाया जिसकी जांच रिपोर्ट में नमूना **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक मदन लाल गुर्जर ने भी विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इस प्रकार प्रस्तुत दोनों प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री लाला राम शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस में निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन दोनों प्रकरण 23/2012 सरकार बनाम लालाराम शर्मा तथा 21/2012 सरकार बनाम लालाराम शर्मा दिनांक 04.03.2012 को लिए गए एक ही **घी** के नमूने से संबंधित है। प्रकरण 23/2012 दिनांक 04.03.2012 को 12:00 ए.एम. पर एन.एच. 12 बरोनी तहसील निवाई से खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर द्वारा लिए गए घी के नमूने से संबंधित प्रकरण हैं तथा दूसरा प्रकरण एक घंटे पहले उसी दिन प्रातः 11:00 ए.एम. पर पुलिस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

थाना बरोनी परिसर से दूसरे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर द्वारा अप्रार्थी के उसी घी के लिए गए नमूने से संबंधित हैं। चूंकि प्रकरण समान व एक ही प्रकृति के हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ एक ही प्रकरण में न्यूनतम शास्ति आरोपित कर किया जावें। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे। साथ ही एक ही प्रकरण में जुर्माना लगाकर दोनों प्रकरणों के निस्तारण पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता हैं कि दोनों प्रकरण एक ही व्यक्ति के व समान प्रकृति के हैं। अतः दोनों पत्रावली 23/2012 व 21/2012 का निस्तारण पक्षकारान की सहमति से एक ही निर्णय से किया जाना उचित समझते हैं। चूंकि अप्रार्थी के पास से लिए गए **घी** के नमूने जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर के होने पाए गए है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा व 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 25,000/—(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णयों की प्रतियां दोनों प्रकरणों 23/2012 व 21/2012 की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(शिव चरण मीना)
न्याय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0